विनोद **S.Bhardwaj** से पहले, जे.

प्रेम सिंह रोहिला-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और **अन्य** प्रतिवादी

2021 का सीआरआर **No.849**

02 मार्च, 2022

परक्राम्य लिखत अधिनियम**, 1881- खंड S.138** और **139-**दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-** S.357 (3)-कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण-चेक का अनादर-कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफलता-धारक के पक्ष में अनुमान-क्या कानूनी नोटिस का जवाब देने में आरोपी की विफलता को दायित्व की स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है और क्या शिकायतकर्ता **से उसकी** वित्तीय क्षमताओं और ऐसी अग्रिम **देने** की क्षमता के संबंध में सवाल किए जाने के बावजूद उसकी क्षमता के संबंध में अनुमान लगाया जाना चाहिए?— माना जाता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की आदेश 139 के तहत अभियुक्त के खिलाफ कानून **जारी नहीं रहेगा** और शिकायतकर्ता पर यह **साबित करने का बोझ डाल दिया जाएगा कि संबंधित लेनदेन हुआ था। और कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन के लिए उसे चैक जारी किया गया था।** विसंगतियां और खामियां **से पता चलता है कि आरोपी** अपने बोझ **को चुकाने में सक्षम है और** उसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के तहत धारणा का संचालन **करे** -इस प्रकार शिकायतकर्ता पर पहले से मौजूद **देनदारी को** दिखाने के लिए सकारात्मक **सबूत पेश करने का बोझ डाला** गया और **चैक** जारी करने के समय **से** कानूनी रूप से लागू **किया जायेगा।**

आम व्यक्ति की विवेकशीलता प्रदर्शित करने **में विफलता** और अभियुक्त को अग्रिम राशि देने की अपनी क्षमता स्थापित करने में विफलता **को बढ़ावा मिलता है।** आरोपी के खिलाफ लागू करने योग्य ऋण के खिलाफ संदेह को जन्म देती है और इस प्रकार **संतुलन** आरोपी के पक्ष में **झुक जाता है। इसलिए दोषसिद्धि और सजा का आदेश और मुआवजा देने का आदेश रद्द कर दिया जाता है।**

यह **माना गया है कि निचली आदलतों की ऐसी धारणा** का आधार शिकायतकर्ता के नेतृत्व में किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर नहीं है, बल्कि यह स्थापित करने के लिए **आरोपी** पर एक नकारात्मक बोझ डाला गया है कि उसने उस धन का लाभ नहीं उठाया था जो कथित रूप से उसे दिया गया था। याचिकाकर्ता ने चेक जारी करने से इनकार कर दिया **है** और शिकायतकर्ता से किसी भी पैसे की प्राप्ति से इनकार कर दिया या फैसले के पैरा 21 में देखी गई परिस्थितियों के साथ उसके साथ **शिकायतकर्ता से किसी भी पैसे की प्राप्ति या उसके साथ कोई लेन–देन करने से इन्कार कर दिया है। लिखित** अधिनियम की **धारा** 139 के तहत **कानून की धारण वही होगी** आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ **कार्यवाही रहेगी और उसका बोझ शिकायतकर्ता पर आ जायेगा।**

509

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

कि यह स्थापित करने के लिए कि विचाराधीन लेन-देन विधिवत हुआ था और यह कि चेक उसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था।

(पैरा 24) **माना गया है कि** ध्यान देने योग्य विसंगतियों और खामियों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपने बोझ और उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के तहत अनुमान के परिणामी संचालन का खंडन करने में समर्थ रहा है। इस प्रकार शिकायतकर्ता पर **पहले से मौजूद देनदारी को दिखाने**

के लिए सकारात्मक सबूत पेश करने और चैक जारी करने के समय उसे कानूनी रूप से लागू करने का बोझ आ गया। एक साधारण व्यक्ति के विवेक को प्रदर्शित करने और याचिकाकर्ता को राशि अग्रिम करने की अपनी क्षमता स्थापित करने में विफलता याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रवर्तनीय ऋण की उपस्थिति के खिलाफ संदेह को जन्म देती है और इस प्रकार **संतुलन को** आरोपी के पक्ष में **झुका देती** है। **शिकायतकर्ता पर** अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने का **बोझ होता है** जिसके पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान है।

(पैरा 25)

सनी कादियान, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

कंवर संजीव कुमार, ए. एएजी हरियाणा।प्रतिवादी No.2/complainant के लिए।

विनोद भारद्वाज**, जे.**

(1) यह मामला कोविड-19 महामारी की स्थिति के आलोक में और निर्देशों के अनुसार वेबेक्स सुविधा द्वारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से उठाया गया है।

(2) तत्काल पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा 2020 के सी. आर. ए. No.63 में पारित दिनांक 04.03.2021 **के विवादित फैसले के साथ–साथ 07–12–19 के सजा के** फैसले **और दिनांक 19–12–2019 के सजा के आदेश को चुनौती देती है जो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत **की** न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की ***धारा** 138* के तहत *2018* **के सी. आई.एस.नं.– एन.ए. एक्ट** - 2255 **वाले आपराधिक शिकायत के मामले में पारित किया गया था।**

(3) विवादित फैसले के आधार पर, याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा**138 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे छह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, दोषी/याचिकाकर्ता को

शिकायतकर्ता को **धारा** 357 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत मुआवजे के रूप में **2,02,500** रुपये की राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। **रूपये 1,35,000 की राशि के चैक के अनादर के साथ-2 राशि पर ब्याज की हानि और कार्यवाही को आगे बढ़ाने।**

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

(4) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले से निकाले गए तथ्यों के संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता (आरोपी) पर आरोप है कि उसने अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए केनरा बैंक, शाखा कार्यालय, असंध रोड, पानीपत **से 1,35,000/-** रुपये की राशि के लिए **चैक नं.**584258 **दिनांक** 25.03.2018 एक चेक जारी किया था।उपरोक्त चेक (Ex.C-1) शिकायतकर्ता द्वारा अपने बैंकर **द्वारा वापसी ज्ञापन दिनांक** 29.03.2018,11.04.2018 और 04.05.2018 (Exs. सी-2 से सी-4) **के माध्यम से अपर्याप्त धनराशि टिप्पणी के साथ अस्वीकृत कर दिया था।** इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 138 दिनांक 10.05.2018 (उदा. सी-5) **के संदर्भ में एक कानूनी नोटिस जारी किया था उसकी** डाक रसीद को Ex.C-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।अभियुक्त-याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने उक्त कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया और दावा की गई राशि भी **जमा नहीं की**, जिसके परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज की गई।याचिकाकर्ता को 12.04.2019 पर आरोप का नोटिस दिया गया था, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया। **दोषी ठहराये जाने के फैसले** और सजा के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसलिए, पुनरीक्षण याचिका।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निचली अदालतें सबूतों की सराहना करने में विफल रही हैं और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया है, भले ही याचिकाकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा** 139 के तहत वैधानिक धारणा को खारिज कर दिया **हो**। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण **के लिए** निर्वहन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत चेक कभी सौंपा गया था और इस संबंध में साक्ष्य का अभाव को नजरअंदाज करते हुए, **निचली** न्यायालयों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी तरह से **अनुमान** पर भरोसा किया है, इसके बावजूद कि धारणा खंडन योग्य थी और उचित संदेह होने पर, बोझ बदल जाएगा और यह साबित करना शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि लिखत जारी करना कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में था। **अपने** उपरोक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता **ने**।

प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर **भरोसा किया है**, जिसमें पैरा संख्या 2 में निम्नलिखित अभिकथन किया गया है, **को रखा है**

2. **यह है कि आरोपी** ने शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत उपयोग के लिए अक्टूबर 2017 के महीने में छह महीने के लिए उधार राशि के रूप में 1,35,000/- रुपये की मांग की **थी**। इस मांग पर शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2017 के महीने में अभियुक्त को 1,35,000/- रुपये की राशि का भुगतान **बिना किसी लिखित समर्थन के** एक-दूसरे के बीच मधुर संबंध होने **के कारण किया है**।

(6) यह प्रस्तुत किया जाता है कि **उपरोक्त कथन को** शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में उपरोक्त कथन को भी शामिल किया गया था।

शिकायतकर्ता **से की गई जिरह** के अंशों का भी संदर्भ दिया गया था, जो इस प्रकार है:-

'मैं सातवीं कक्षा पास हूँ। मैं **एक** कारखाने में काम करता हूँ।राजस्थान में शिवांगी नाम की एक फैक्ट्री है। मेरी आय Rs.15,000/- प्रति माह है। मेरे पास आय का कोई प्रमाण नहीं है। नकद प्राप्त करें। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, जिसमें मैं पैसे जमा करता हूं। मैं आज अपने खाते का विवरण XXXXXXXXXXXXXX नहीं लाया हूँ।मैंने प्रेम कुमार के साथ कभी व्यापार नहीं किया है।मुझे नहीं पता कि प्रेम कुमार क्या काम करते हैं। व प्रेम कुमार की आय कितनी है।मुझे नहीं पता कि प्रेम कुमार कितने शिक्षित हैं। XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.पैसे के लेन-देन के संबंध में मेरे पास कोई सबूत नहीं है।जिसमें कोई रसीद या अन्य लिखित प्रमाण **नहीं है। आज** खुद कहा कि उनके साथ पहले भी लेन-देन हुआ था।मैंने पैसे के संबंध में फाइल पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है।जिसमें आर. टी. जी. एस., डी. डी., बैंक चेक, खाता विवरण शामिल हैं।ताकि यह साबित हो सके कि मैंने प्रेम कुमार को पैसे दिए थे।मैंने इस मामले में कोई शपथ पत्र दिया है या नहीं।मुझे परवाह नहीं है कि वकील को पता **चल जायेगा** कि मैंने अपनी आय का कोई प्रमाण फाइल में नहीं रखा है।मेरे पास पैसे के लेन-देन का गवाह है, लेकिन आज तक मैंने न तो फाइल में बताया है और न ही वकील को बताया है। XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

मैं आईटीआर भरता हूं। मैंने न तो अदालत में मामले में उस वर्ष का आईटीआर दिया है और न ही आज के बारे में। मैंने यह चेक प्रेम कुमार की दुकान से नहीं चुराया **है** और चेक चुराने के बाद गलत राशि **तय की गई है।**

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

(जोर दिया गया) (7) उसी पर भरोसा रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता अपनी आय के प्रमाण या उस समय के बारे में कोई विवरण देने में विफल रहा है जब 1,35,000/- रुपये की राशि कथित रूप से याचिकाकर्ता को उधार दी गई थी। यह **भी** आगे स्थापित नहीं किया गया है कि क्या शिकायतकर्ता के पास इतनी बड़ी राशि को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन थे, यह देखते हुए कि उसकी मासिक आय

केवल 15,000/– प्रति माह थी और वह राजस्थान में एक कारखाने में मजदूर/श्रमिक के रूप में कार्यरत था और वह किराए के आवास में रहता था।यह भी तर्क दिया **गया** है कि जिरह के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कभी भी याचिकाकर्ता के साथ व्यापार नहीं किया था और इस तरह, शिकायतकर्ता के लिए इस तरह के लेनदेन के समर्थन में किसी भी दस्तावेज को निष्पादित किए बिना याचिकाकर्ता को कोई राशि अग्रिम करने का कोई अवसर या कारण नहीं था।यह भी तर्क दिया **गया** है कि शिकायतकर्ता **ने** स्वीकार **किया** है कि उसके पास उनके बीच धन के लेन-देन के संबंध में कोई सबूत नहीं है, इसलिए, इस तथ्य का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को कोई राशि दी गई थी।जिरह का संदर्भ देते हुए, जहां शिकायतकर्ता कहता है कि उसके पास पैसे के लेन-देन का गवाह है, लेकिन उसने शिकायत या साक्ष्य में गवाह के विवरण का उल्लेख नहीं करने का विकल्प चुना है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने सबसे अच्छे साक्ष्य को रोक दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि **विचाराधीन** लेन-देन के लिए गवाह के विवरण और विवरण को क्यों रोका जाना चाहिए और लेन-देन को साबित करने के लिए न्यायालय में उक्त गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की जानी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार शिकायतकर्ता के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा** 139 के तहत वैधानिक धारणा उक्त पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के खिलाफ **कायम** नहीं रह सकती है।किसी भी प्रत्ययी संबंध की अनुपस्थिति में और शिकायतकर्ता की वित्तीय योग्यता की कमी में, उचित दस्तावेजों के बिना इतनी बड़ी राशि को आगे बढ़ाने का कोई अवसर नहीं था।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के नेतृत्व में साक्ष्य पर ध्यान दिए बिना यांत्रिक तरीके से अपना आदेश पारित किया है।जे. एम. आई. सी., पानीपत द्वारा अपने फैसले के पैरा 8 में यह देखा गया है कि अभियुक्त ने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया, जबकि याचिकाकर्ता ने वास्तव में एक गवाह के रूप में कदम रखा था और इस संबंध में उसका शपथ पत्र डी. डब्ल्यू. 1 प्रदर्शित करता है। उक्त हलफनामे में, याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से शपथ ली गई थी कि उसका हस्ताक्षरित चेक दुकान से खो गया था और शिकायतकर्ता द्वारा उसे चुरा लिया **है**। इसे शिकायतकर्ता द्वारा उपकरण के दुरुपयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

विद्वान वकील ने कहा कि यहां तक कि

हालाँकि याचिकाकर्ता से शिकायतकर्ता द्वारा जिरह भी की गई थी, हालाँकि, उस तारीख और समय के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया था जब राशि याचिकाकर्ता को दी गई थी या उस तारीख, समय या स्थान के बारे में जब कथित रूप से उधार ली गई राशि के बदले में चेक याचिकाकर्ता द्वारा जारी किया गया था।इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता राशि को आगे बढ़ाने के बारे में किसी भी प्राथमिक साक्ष्य द्वारा स्थापित करने में विफल रहा है और यह भी विवरण देने में विफल रहा है कि दायित्व के निर्वहन में, यदि कोई हो, तो शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत चेक कब जारी किया गया था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि गवाह के रूप में याचिकाकर्ता की गवाही का संदर्भ देने में विफल रहने से, निचली अदालत ने मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है।इस प्रकार दोषसिद्धि का निर्णय बिना विवेक के और शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही पर भरोसा रखते हुए यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है।उपरोक्त पहलुओं को भी निचली अपील न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है और उक्त अदालत ने यह कहते हुए दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा है कि शिकायतकर्ता अच्छी कमाई कर रहा था (भले ही शिकायतकर्ता ने Rs.15,000/- का मासिक वेतन प्राप्त करने के बारे में कहा हो) और उक्त प्रक्रिया में पूरी तरह से इस बात की अनदेखी की है कि पक्षों के बीच लेनदेन के अस्तित्व का प्रमाण उसके खिलाफ एक पूर्व शर्त है, इससे पहले कि उसके खिलाफ एक अनुमान लगाया जा सके।उपरोक्त अवलोकन की किसी भी साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए निचली अपील न्यायालय के पास कोई साधन नहीं था।इस प्रकार निचली अपील न्यायालय की राय रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से नहीं निकली।

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी **नं.** 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन चेक पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया है और यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में भी विफल रहा है कि विचाराधीन चेक कभी चोरी हुआ था। अभियुक्त-याचिकाकर्ता **के जिरह** के अंश को यह प्रस्तुत करने के लिए **संदर्भ दिया** किया गया था कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में समर्थ नहीं है कि उसने किसी भी समय, पुलिस को अपने लापता चेक के बारे में कोई शिकायत प्रस्तुत की थी और उसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का भी जवाब

नहीं **देने का फैसला किया।** परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के तहत एक धारणा है कि एक लिखत को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में जारी किया गया है और यह कि चेक पर हस्ताक्षर या याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए कि विचाराधीन चेक वास्तव में चोरी हो गया था, की अनुपस्थिति में में यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने चेक जारी किया था।

शिकायतकर्ता अपने दायित्व **का निर्वहन कर रहा है।** किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आंदोलन न करने और अपने अधिकार का पीछा करने का कोई कारण या अवसर नहीं है, अगर उसका कोई हस्ताक्षरित उपकरण चोरी हो जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क एक विचार के बाद है क्योंकि शिकायतकर्ता के पिता और याचिकाकर्ता एक दूसरे के **बगल में** अपना व्यवसाय करते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए राशि को सद्भावना से आगे बढ़ाया गया था। याचिकाकर्ता के पास सीमेंट/निर्माण सामग्री की दुकान है और शिकायतकर्ता के पिता के पास सब्जी विक्रेता के रूप में रेहड़ी होती थी।शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है कि उसने अपनी दुकान में हस्ताक्षरित खाली चेक क्यों छोड़ा और उसने **दस्तावेज** पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है, यह अनुमान है कि चेक जारी करना वैध था और शिकायतकर्ता नियत समय पर चेक का धारक है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि भले ही शिकायतकर्ता राजस्थान के एक कारखाने में काम कर रहा था, लेकिन वह पानीपत का स्थायी निवासी है और हस्ताक्षरों के बेमेल होने के कारण विचाराधीन चेक को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन यह **धन** 'अपर्याप्त' के कारण **हुआ** है। हस्ताक्षरों में जालसाजी का कोई आरोप नहीं है।

(10) मैंने पक्षों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों **द्वारा दी गई दलीलों** को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(11) मामले में आगे बढ़ने से पहले, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा** 138, जिसके तहत वर्तमान कार्यवाही **की और उन्हे** निकालने की आवश्यकता है **जो** यह निम्नानुसार है:-

'138 खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर।— जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते से निकाला गया कोई चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। **एक अवधि जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो** जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, या दोनों के साथ:बशर्ते कि इस **धारा** में **शामिल** कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया है;

(ख) प्रापक या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक के ड्रॉअर को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है, 20 [तीस दिनों के भीतर] उसके द्वारा बैंक से चेक की वापसी के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद; और

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण।— इस **धारा** के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व।

(12) परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 चेक धारक के पक्ष में एक वैधानिक धारणा उठाती है।प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार निकाला गया हैः-

'139. धारक के पक्ष में अनुमान।—यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि किसी चेक के धारक **को** किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए **धारा**138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त **हुआ** है।

(13) यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के तहत धारणा कानून की एक धारणा है, जैसा कि तथ्य की धारणा से अलग है, ऐसी धारणा एक खंडन योग्य धारणा है और चेक का ड्रॉअर इसे खारिज कर सकता है।कानून में उपरोक्त स्थिति हितेन पी. दलाल बनाम ब्रातिंद्रनाथ बनर्जी 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में तय की गई है।परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के संदर्भ में अनुमान के पहलू पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

'21.अपीलार्थी का यह निवेदन कि 'किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन' के लिए चेक नहीं **दिए** गए थे, तीसरे अनुमान द्वारा उत्तर दिया **गया है कि**

1 (2001) 6 एस. सी. सी. 16 516

परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के तहत बैंक को उपलब्ध **है**। इस **धारा** में प्रावधान किया गया है कि "यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि किसी चेक के धारक ने किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए **धारा** 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त **हुआ** है।"

इन अनुमानों का प्रभाव **अपीलकर्ता** यह साबित करने **का साक्षात्मक बोझ डालना है कि चैक की भी** दायित्व के निर्वहन के लिए **बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।**

22. क्योंकि दोनों धाराओं 138 और 139 में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायालय उन राशियों के लिए **चैक जारी करने वाले** की देनदारी "मान लेगा", **जिनके लिए चैक निकाले गए हैं।** जैसा कि मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ अय्यर ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 61 में उल्लेख किया गया है, न्यायालय पर यह धारणा हर उस मामले में उठाना अनिवार्य है जहां अनुमान लगाने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित किया गया था।"यह आपराधिक मामलों में सबूत के बोझ के रूप में सामान्य नियम में एक अपवाद पेश करता है और आरोपी पर जिम्मेदारी डालता है।इस तरह की धारणा कानून की एक धारणा है, जैसा कि तथ्य की धारणा से अलग है जो उन प्रावधानों का वर्णन करती है जिनके द्वारा अदालत एक निश्चित स्थिति का "अनुमान" लगा सकती है।अनुमान साक्ष्य के नियम हैं और निर्दोषता की धारणा के साथ टकराव नहीं करते हैं, क्योंकि बाद वाले का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है।अभियोजन पक्ष पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य के अनुमानों की मदद से किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त अनुमानित तथ्य के न होने की उचित संभावना दिखाने वाले साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करता है।

23. दूसरे शब्दों में, बशर्ते कि कानून के अनुमान का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हों, न्यायालय के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है, लेकिन यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ अनुमान लगाया गया है।एक तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब "अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो इसे अस्तित्व में मानता है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है"।इसलिए, खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के साक्ष्य

बचाव पक्ष के समर्थन में न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया **जाना चाहिए** कि न्यायालय को या तो बचाव पक्ष का अस्तित्व मानना चाहिए या इसके अस्तित्व को यथोचित रूप से संभावित मानना चाहिए, तर्कसंगतता का मानक 'विवेकपूर्ण व्यक्ति' का होना चाहिए।

24. आवश्यक सबूत का खंडन करने की मात्रा के बारे में न्यायिक बयान अलग-अलग हैं। कुंदन लाल रल्लाराम बनाम अभिरक्षक, निकासी संपत्ति, बॉम्बे ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1316 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 118 के तहत कानून की धारणा का खंडन, कुछ परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की **धारा** 114 के तहत उठाए गए तथ्य की धारणा से **खारिज** किया जा सकता है। निर्णय उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। **उसके** बाद के निर्णय में अधिक आधिकारिक दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है

धनवंतराई बलवंतराई देसाई बनाम संविधान पीठ

महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 575, जहाँ इस न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम वैद्यनाथ अय्यर (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराया और स्पष्ट किया कि दो प्रकार की धारणाओं के बीच का अंतर न केवल न्यायालय को दिए गए जनादेश में है, बल्कि दोनों का खंडन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति में भी है।विवेकाधीन अनुमान के मामले में यदि अनुमान तैयार किया जाता है तो एक स्पष्टीकरण द्वारा खंडन किया जा सकता है जो अभियुक्त की "उचित रूप से सच हो सकता है और जो निर्दोषता के अनुरूप है"।दूसरी ओर एक अनिवार्य अनुमान के मामले में "ऐसे मामले में अभियुक्त व्यक्ति पर पड़ने वाला बोझ उतना हल्का नहीं होगा जितना कि साक्ष्य अधिनियम के S.114 के तहत एक अनुमान लगाया जाता है और इसे केवल इस तथ्य के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित और संभावित है।यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि स्पष्टीकरण सही है।इस प्रावधान में आने वाले शब्द 'जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है' यह स्पष्ट करते हैं कि अनुमान का खंडन 'प्रमाण' द्वारा किया जाना चाहिए, न कि **केवल** एक खुली व्याख्या द्वारा जो केवल प्रशंसनीय है। **किसी** तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब इसका अस्तित्व सीधे स्थापित हो जाता है या जब उसके सामने मौजूद सामग्री पर न्यायालय को इसका अस्तित्व इतना संभावित लगता है कि एक उचित व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि

यह मौजूद है।इसलिए, जब तक स्पष्टीकरण प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है, तब तक प्रावधान द्वारा बनाई गई धारणा को खंडन नहीं **किया** जा सकता है।

[वी. डी. भी देखें। झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1762; शैलेन्द्रनाथ बोस बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1292 और राम कृष्ण बेदु राणे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 (1) एस. सी. सी. 366।](जोर दिया गया)

(14) इस प्रकार, यह **माना गया है** कि अभियोजन पक्ष पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य के अनुमान की सहायता से **पूरा** किया जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त अनुमानित तथ्य के अस्तित्व में न होने की उचित संभावना दिखाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है।इस प्रकार, यह कहना कि यदि कानून के अनुमान का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हैं, तो न्यायालय के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है, लेकिन यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ अनुमान लगाया गया है।खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के साक्ष्य को बचाव के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि न्यायालय को या तो बचाव का अस्तित्व मानना चाहिए या इसके अस्तित्व को यथोचित रूप से संभावित मानना चाहिए, तर्कसंगतता का मानक 'विवेकपूर्ण व्यक्ति' **होना चाहिए।**

(15) कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स 2 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। उसी का प्रासंगिक **उदाहरण** नीचे दिया गया है:-

'13. अनुबंधों पर लागू सामान्य नियम से एक महत्वपूर्ण विचलन में, अधिनियम की **धारा** 118 कुछ अनुमानों को उठाने का प्रावधान करती है। यह **धारा** अनुमानों से संबंधित साक्ष्य के कुछ विशेष नियम निर्धारित करती है। इन अनुमानों का कारण यह है कि, परक्राम्य **लिखित** समर्थन पर हाथ से गुजरता है और यह व्यापार को बहुत कठिन और साधन की परक्राम्यता को असंभव बना देगा, जब तक कि कुछ **निश्चित धारणा ना**

बनाई जाये। इसलिए, यह धारणा बातचीत के साथ-साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सिद्धांत की बात है।अधिनियम की **धारा** 118 में तब तक लगाए जाने वाले अनुमानों का प्रावधान है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता (i) विचार के रूप में, (ii) लिखत की तारीख के रूप में, (iii) स्वीकृति के समय के रूप में, (iv) हस्तांतरण के समय के रूप में, (v) प्रत्यर्पण के आदेश के रूप में, (vi) उपयुक्त डाक टिकट के रूप में और (vii) धारक के नियत समय में धारक होने के रूप में।

14. अधिनियम की **धारा** 139 में प्रावधान है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि चेक धारक को इस में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।

2 (2009) 2 एस. सी. सी. 513 प्रेम सिंह रोहिला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

खंड 138 किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए है।

15. अनुमान वे उपकरण हैं जिनके उपयोग से अदालतें सक्षम होती हैं और किसी मुद्दे पर फैसला सुनाने की हकदार होती हैं, भले ही कोई सबूत या अपर्याप्त सबूत न हो।भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सभी अनुमान अधिनियम में उल्लिखित तीन वर्गों के एक या दूसरे वर्ग के तहत आने चाहिए, अर्थात् (1) "**मान सकते है**" (खंडन योग्य), (2) "**मानेंगे**" (खंडन योग्य) और (3) "निर्णायक अनुमान" (**अखंडनीय**)।'अनुमान' शब्द का उपयोग **किसी तथ्य के** अस्तित्व के एक निष्कर्ष, सकारात्मक या असमर्थनीय तथ्य को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य के किसी मामले से संभावित तर्क की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया "अनुमानित तथ्य" कहा जाता है, **जिसे** या तो न्यायिक रूप से देखा जाता है या **स्वीकार किया जाता है या** न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए कानूनी साक्ष्य द्वारा स्वीकार किया जाता है या स्थापित किया जाता है।अनुमान का शाब्दिक अर्थ है "बिना जाँच या प्रमाण के सत्य के रूप में **मान** लेना"।

16. साक्ष्य अधिनियम की **धारा** 4 अन्य बातों के साथ-साथ '**मान** सकता है' और 'निम्नलिखित रूप में मान लेगा' शब्दों को परिभाषित करती हैः-

"(क) '**मान** सकता है'-जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य **को मान** सकता है, तो वह या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है, जब तक कि यह गलत साबित नहीं हो जाता है या इसके प्रमाण की मांग कर सकता है।

(ख) 'मान लेगा'-जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान लेगा, तो वह ऐसे तथ्य को तब तक साबित मानता है जब तक कि इसे गलत नहीं माना जाता है।

पहले वाले मामले में न्यायालय के पास अनुमान लगाने या **ना** लगाने का विकल्प होता है, लेकिन बाद वाले मामले में, न्यायालय को अनिवार्य रूप से अनुमान को उठाना चाहिए। यदि किसी मामले में न्यायालय के पास अनुमान को **बढ़ाने** और अनुमान को **बढ़ाने** का विकल्प है, तो **अनुमान की** दो श्रेणियों की धारणाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और तथ्य को तब तक माना जाता है, जब तक कि इसे गलत नहीं माना जाता है।

17. अधिनियम की **धारा**118 अन्य बातों के साथ-साथ **यह** निर्देश देती है कि **जब तक कि विपरित साबित ना हो जाए तब कि** यह माना जाएगा कि इसके प्रत्येक **परक्राम्य लिखत विचार के लिए बनाया या निकाला गया था**। अधिनियम की **धारा** 139 में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं होता है, यह माना जाएगा कि चेक धारक को किसी ऋण या दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए **प्राप्त हुआ**

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा में 'साबित शब्द' की परिभाषा को अधिनियम की धारा118 और 139 के प्रावधानों पर लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मुकद्दमे में यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया गया था या निकाला गया था और एक बार परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो साबित हो गया या स्वीकार कर लिया गया, तो इसे ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए निष्पादित किया गया था। जैसे ही शिकायतकर्ता यह साबित करने के बोझ से मुक्त हो जाता है कि उपकरण मान लीजिए एक नोट आरोपी द्वारा निष्पादित किया गया था, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान के नियम उसे आरोपी पर बोझ डालने में मदद करते हैं। धारणाएं जीवित रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे और जीवित रहेंगे और केवल तभी समाप्त होंगे जब अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत साबित किया जाएगा, अर्थात, चेक विचार के लिए और किसी भी ऋण या दायित्व निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था।एक अनुमान अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल एक पक्ष के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला बनाता है जिसके लाभ के लिए यह मौजूद है।

19. अधिनियम की धारा 118 में "जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए" वाक्यांश का उपयोग और अधिनियम की धारा 139 में "जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए" शब्दों का उपयोग, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 4 में दिया गया है, "मान सकता है'' और ''धारणा करेगा" की परिभाषाओं के साथ पढ़ा जाता है, यह तुरंत स्पष्ट करता है कि दोनों प्रावधानों के तहत उठाए जाने वाले अनुमान खंडन योग्य हैं।जब किसी अनुमान का खंडन किया जा सकता है, तो यह केवल यह इंगित करता है कि जिस पक्ष पर अनुमान लगाए गए साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कर्तव्य है, उस तथ्य पर जो माना गया है और जब उस पक्ष ने यह दिखाने के लिए निष्पक्ष और उचित रूप

से यह दिखने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वास्तविक तथ्य अनुमान के अनुरूप नहीं है, तो अनुमान का उद्देश्य समाप्त हो गया है।

20. अधिनियम की खंड 138 के तहत मुकदमे में आरोपी के पास दो विकल्प हैं।वह या तो यह दिखा सकता है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं थे या मामले की विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व इतना **सम्भावित** है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि कोई प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं था। वैधानिक अनुमानों का खंडन करने के लिए एक अभियुक्त से उचित संदेह से परे **अपने बचाव को** साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है जैसा कि शिकायतकर्ता से आपराधिक मामलों में उम्मीद की जाती है।

अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि विचाराधीन **नोट विचाराधीन** नहीं था और उसके द्वारा **चुकाया जाने वाला** कोई ऋण या दायित्व नहीं था। हालाँकि, अदालत को हर मामले में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रतिफल और ऋण के अस्तित्व को **अस्वीकार** साबित करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही **उस पर** विचार किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट **है कि ऋण के प्रतिफल पारित करने और ऋण अस्तित्व से से इन्कार करने से स्पष्ट रूप से अभियुक्त के** उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी

अभियुक्त सबूत का भार शिकायतकर्ता पर **डालने के** लिए कुछ ऐसा जो संभवतः **कुछ ऐसी बातें रिकार्ड पर लानी होंगी जो सम्भावित है।** अनुमानों को गलत साबित करने के लिए, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, जिन पर विचार करने पर, अदालत या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं था या उनका अस्तित्व इतना संभव था कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति मामले की परिस्थितियों में इस दलील पर कार्रवाई करेगा कि वे मौजूद नहीं थे।इसके अलावा

यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य **जोड़ने के अलावा विचाराधीन नोट विचारधीन नहीं था** या कि उसने कोई ऋण या दायित्व नहीं लिया था, अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है और यदि इस **पर भरोसा किया गया है**, तो बोझ फिर से शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अभियुक्त अधिनियम की खंड 118 और 139 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणाओं का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की खंड 114 में उल्लिखित तथ्यों के अनुमानों पर भी भरोसा कर सकता है।

21. अभियुक्त के पास या तो साक्ष्य देकर या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में, यानी शिकायत **द्वारा निर्धारित मामले से, यानि शिकायत में दिये गये कथ्नों से, प्रतिफल या ऋण के दायित्व या अस्तित्व की गैरमौजुदगी को साबित** करने का भी विकल्प होता है। **मुकद्दमे के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए वैधानिक नोटिस और साक्ष्य में मामला निर्धारित किया गया है एक बार जब इस तरह के खंडन साक्ष्य पेश किये जाते है और मामले की सभी** रिस्थितियों और संभावनाओं की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए **अदालत द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं** साक्ष्य का बोझ शिकायतकर्ता पर वापस चला जाता है और उसके बाद, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आएंगे।

(जोर दिया गया) (16) इस प्रकार कानून अच्छी तरह से तय है कि वैधानिक धारणा का खंडन **करने** के लिए, एक आरोपी से उचित संदेह से परे अपना बचाव साबित **करने** की उम्मीद नहीं की जाती है जैसा कि एक आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता से उम्मीद की जाती है। अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि

विचाराधीन नोट, विचाराधीन नहीं था और उसके द्वारा **चुकाया जाना वाला कोई ऋण या दायित्व नहीं था।** न्यायालय को प्रत्येक मामले में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य **देकर** प्रतिफल और ऋण की अनुपस्थिति को **अस्वीकार** करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही विचार किया गया है।साथ ही, **प्रतिफल पारित होने और ऋण के अस्तित्व से इन्कार करने से** अभियुक्त का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।अनुमान को गलत साबित करने के लिए, एक अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, जिन पर विचार करने पर, न्यायालय या तो यह मान सकता है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं था या उनका अस्तित्व इतना संभावित था कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, इस दलील पर **कार्यवाही करे कि वे मौजूद नहीं थे।**

(17) रंगप्पा बनाम श्री मोहन [3] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की खंड 139 के तहत लगाए गए अनुमान के मामले पर टिप्पणी की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- '26.इन उद्धरणों के **प्रकाश,** हम प्रत्यर्थी-दावेदार के साथ सहमत हैं कि अधिनियम की खंड 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। उस हद तक, कृष्ण जनार्दन भट (ऊपर) में विवादित अवलोकन सही नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, यह किसी भी तरह से उस मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह नहीं करता है क्योंकि यह विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था।जैसा कि उद्धरणों में उल्लेख किया गया है, यह निश्चित रूप से एक खंडन योग्य धारणा की प्रकृति में है और यह अभियुक्त के लिए बचाव करने के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है।हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है।

27. अधिनियम की खंड 139 एक विपरीत दायित्व खंड का एक उदाहरण है जिसे **परक्राम्य लिखित की** विश्वसनीयता में सुधार के विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाने में शामिल किया गया है।

जबकि अधिनियम की **धारा** 138 चेक के अपमान के संबंध में एक मजबूत आपराधिक **उपाय** निर्दिष्ट करती है, **धारा** 139 के तहत खंडन योग्य धारणा मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है।हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि **धारा** 138 द्वारा दंडनीय **बनाए गए**अपराध को एक नियामक अपराध के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का **बाउन्स होना** काफी हद तक एक नागरिक गलती की प्रकृति **में** है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पक्षों तक ही सीमित होता है।ऐसे परिदृश्य में, आनुपातिकता **के परीक्षण** को विपरीत दायित्व खंडों के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और अभियुक्त/प्रतिवादी से अनुचित रूप से उच्च मानक या सबूत का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

28. **सम्मोहक** औचित्य की अनुपस्थिति में, विपरीत दायित्व खंड आमतौर पर एक **साक्ष्यात्मक बोझ डालते हैं** न कि एक प्रेरक बोझ।इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक **स्थापित** स्थिति है कि जब किसी अभियुक्त को **धारा** 139 के तहत धारणा का खंडन करना **होता** है, तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक 'संभावनाओं की प्रधानता' है। इसलिए, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में समर्थ है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन विफल हो सकता है।जैसा कि उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है, अभियुक्त इस तरह के बचाव के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है और यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत **करने** की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

(18) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने** जॉन के. अब्राहम बनाम साइमन सी. **अब्राहम और अन्य**

के मामले में 4 **देखा** कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा** 139 के साथ पठित **धारा** 118 के तहत अनुमान लगाने के लिए, शिकायतकर्ता पर यह दिखाने का बोझ है कि (i) अभियुक्त को प्रश्नगत **संबंधित राशि ऋण देने** के लिए उसके पास आवश्यक धन था (ii) **आरोपी द्वारा दी गई धनराशि** के पुनर्भुगतान के समर्थन में चेक जारी करना सही था और (iii) कि अभियुक्त भुगतान करने के लिए बाध्य था जैसा कि शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी करते समय सहमति हुई थी।इस तथ्य पर ध्यान **देते** हुए कि शिकायतकर्ता को उस तारीख के बारे में पता नहीं था जब उसके द्वारा आरोपी को पर्याप्त राशि दी गई थी और **वह** प्रासंगिक प्रस्तुत करने में उसकी विफल **रहा था।**

4 (2014) 2 एस. सी. सी. 236 524

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

एक अभियुक्त को धन **की अग्रिम राशि देने के** लिए कथित स्रोत के समर्थन में दस्तावेज, अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले फैसले को विकृत मानते हुए दरकिनार कर दिया गया था।उपरोक्त निर्णय से ध्यान में रखे गए प्रासंगिक तथ्यों को निम्नानुसार निकाला गया हैः-

'6.जब हम प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के मामले की जांच करते हैं जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और निचली अदालत के समक्ष रखे गए भौतिक साक्ष्य की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि निचली अदालत ने प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के मामले में कुछ महत्वपूर्ण दोषों को नोट किया था।विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उल्लिखित ऐसे दोष निम्नानुसार थेः

क) यद्यपि पीडब्लू-1 के रूप में प्रतिवादी ने यह भी कहा कि अभियुक्त को उसके घर पर धन प्राप्त हुआ था, उसने **यह** भी कहा कि उसे **वह** तारीख याद नहीं है जब उसे 1,50,000/- राशि का भुगतान किया गया था।

ख) **1,50,000/- रूप्ये की अग्रिम राशि के स्त्रोत के संबंध में** प्रतिवादी ने दावा किया कि यह राशि पारिवारिक संपत्ति में उसके हिस्से की बिक्री **के विचार से थी** इसके अलावा 50,000/- उसने उस कॉलेज की सहकारी समिति से ऋण के रूप में प्राप्त की, जहां वह कार्यरत था। यद्यपि प्रतिवादी ने **निचली** न्यायालय के समक्ष कहा कि वह उक्त स्थिति के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में होगा, **लेकिन** यह नोट किया गया कि नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज नहीं रखे गए थे।

ग) जिरह के दौरान, प्रतिवादी ने कहा कि **चेक पर उस तारीख को हस्ताक्षर कर दये थे जब भुगतान किया था**, फिर भी उसने कहा कि उसे उस तारीख के बारे में पता नहीं था जब उसने 1,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया था।

घ) प्रतिवादी के अनुसार, चेक स्वयं अभियुक्त की लिखावट में था और अगले ही क्षण उसने एक विरोधाभासी बयान दिया कि चेक अपीलकर्ता की लिखावट में नहीं था और उसने (शिकायतकर्ता) वही लिखा था।

ङ) प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शब्दों में राशि उसके द्वारा लिखी गई थी।

च) ट्रायल कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि यह प्रतिवादी का मामला नहीं था कि चेक में लिखना और **आंकड़े** भरना

प्रेम सिंह रोहिला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य अभियुक्त अपीलकर्ता की सहमति से **था**।

525

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

9. यह कहा जाना चाहिए कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की 139 के साथ पठित खंड 118 के तहत अनुमान लगाने के लिए, शिकायतकर्ता पर यह दिखाने का भारी बोझ था कि उसे आरोपी को धन की आवश्यकता थी; कि उक्त अग्रिम भुगतान के समर्थन में चेक जारी करना सही था और आरोपी भुगतान करने के लिए बाध्य था जैसा कि शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी करते समय सहमति हुई थी।

10. उक्त वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब हम प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों की जांच करते हैं, जैसा कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा सही निष्कर्ष निकाला गया है, तो प्रतिवादी को उस तारीख के बारे में भी पता नहीं था जब उसके द्वारा अपीलकर्ता को **1,50,000/-** रुपये की पर्याप्त राशि दी गई थी, कि वह इस बारे में निश्चित नहीं था कि चेक किसने लिखा था, कि उसे यह भी पता नहीं था कि वास्तव में कब और कहाँ लेनदेन हुआ था जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा चेक जारी किया गया था।शिकायतकर्ता के साक्ष्य में उक्त गंभीर कमी के अलावा, उन्होंने आगे पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में स्वीकार किया कि **जिरह** के दौरान यह कहते हुए कि चेक आरोपी की लिखावट में था और अगले ही पल यह बिल्कुल विपरीत रुख अपनाते हुए कि यह आरोपी की लिखावट में नहीं है और यह शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं लिखा गया था, यह दोहराते हुए कि शब्द में राशि उसके द्वारा लिखी गई थी।

11. हम पाते हैं कि प्रतिवादी के साक्ष्य में विभिन्न दोष **है**, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा नोट किया गया है, जिसे हमने निर्णय के पैराग्राफ 7 में निर्धारित किया है, को उच्च न्यायालय द्वारा बिना कोई वैध कारण बताए खारिज कर दिया गया था।शिकायतकर्ता के साक्ष्य में ऐसी गंभीर कमी, जो **धारा** 138 के तहत शिकायत की जड़ पर प्रहार करती है, जिसे **विद्‌वान** विचारण न्यायाधीश द्वारा नोट किया गया **था**, कि निचली अदालत के फैसले को उलटते समय उच्च न्यायालय किस कारक की जांच करने में विफल रहा, हमारी सुविचारित राय में **न्यायालय अपने** द्वारा किए गए अंतिम निष्कर्ष को दूषित कर **देगा**। वास्तव में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष एक विकृत होगा और

इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है।(जोर दिया गया)

(19) बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा 5 के मामले में **जबकि** प्रमाण के मानक और परक्राम्य लिखत अधिनियम **के तहत** तैयार की गई **धारणा से निपटते** हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

'14.न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा **ने** एम. एस. नारायण मेनन उपनाम मणि बनाम केरल राज्य और **अन्य**, (2006) 6 एस. सी. सी. 39

अधिनियम, 1881 की धारा 118 (ए), 138 और 139 पर विचार किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया **था** कि धारा 118 (ए) और 139 दोनों के तहत धारणाएं प्रकृति में खंडन योग्य हैं।पहले के निर्णय के संदर्भ में "अनुमान लगा सकते हैं" और "अनुमान लगाएंगे" अभिव्यक्तियों की व्याख्या करते हुए, पैराग्राफ No.28 में निम्नलिखित **कहा** गया थाः-

"28. भारत संघ बनाम प्रमोद गुप्ता, (2005) 12 एस. सी. सी. 1 **मामले** में इस न्यायालय **ने** निम्नलिखित शब्दों **पर** "अनुमान लगाया जा सकता है", "अनुमान लगाया जाएगा" और "निर्णायक प्रमाण" अभिव्यक्तियों का क्या प्रभाव होगा, इस पर विचार किया गया हैः(एस. सी. सी. पीपी. 30-31, पैरा 52)

"यह सच है कि विधायिका ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की **धारा** 42 में **माना जायेगा और माना जा सकता है** दो अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया है और इसके अलावा, हालांकि सरकार में निहित खदानों और खनिजों के अधिकार के संबंध में ऐसी धारणा के खंडन के तरीके और तरीके के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि भूमि मालिकों द्वारा रखी **गई** भूमि के संबंध में इसकी अभाव के संबंध में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि 'अनुमानित' शब्द निर्णायक होंगे। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 4 में 'अनुमान लगाया जा सकता है' और 'अनुमान लगाया जाएगा' **जैसे भावों की व्याख्या की गई है जिसके** अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि जब भी यह निर्देश दिया जाता है कि अदालत किसी तथ्य का अनुमान लगाएगी तो वह ऐसे तथ्य को तब तक साबित मानती है जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए।उक्त प्रावधान के संदर्भ में, इस प्रकार, '**मान लिया जायेगा**' अभिव्यक्ति को 'निर्णायक प्रमाण' का पर्याय

नहीं माना जा सकता है।"15. यह नोट किया गया था कि अभिव्यक्ति "**मानेंगे**" को निर्णायक प्रमाण का पर्याय नहीं माना जा सकता है। "सिद्ध" और "अस्वीकृत" शब्दों की परिभाषा का उल्लेख **किया गया है**

527

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

तो निम्नलिखित साक्ष्य अधिनियम की खंड 3, पैराग्राफ No.30 में निम्नलिखित रूप से निर्धारित **किया गया था।**

"30. अधिनियम की खंड 118 (ए) के पीछे के सिद्धांत के लिए "सिद्ध" या "अस्वीकृत" की उक्त परिभाषाओं को लागू करते हुए, न्यायालय एक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए तब तक मान लेगा जब तक कि उसके समक्ष मामले पर विचार **न कर लिया जाए।** या तो यह मानता है कि **प्रतिफल आस्तत्व में नहीं है या प्रतिफल के अस्तित्व को** इतना संभावित मानता है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि **प्रतिफल अस्तित्व में** नहीं है। इस तरह की धारणा का खंडन करने के लिए, संभावित बचाव करने की आवश्यकता है। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए, शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता **है।**"16. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संभावित बचाव की आवश्यकता है, जिसके लिए अभियुक्त के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से विचार के अस्तित्व को गलत साबित करना आवश्यक नहीं है और यहां तक कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है।प्रमाण के मानक से निपटने के लिए, पैराग्राफ No.32 में निम्नलिखित देखा गयाः-

"32. प्रमाण का मानक स्पष्ट रूप से संभावनाओं की **प्रबलता** है।संभावनाओं की **प्रबलता** का अनुमान न केवल अभिलेख **की मौजूद सामग्री** से लिया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ से भी लिया जा सकता है जिन पर वह **भरोसा** करता है।"

17. कृष्ण जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े में,

(2008) 4 एस. सी. सी. 54, इस न्यायालय ने **माना** कि एक अभियुक्त को एक **कानून** के तहत उस पर रखे गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए स्वयं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।वह पहले से ही अभिलेख में लाई गई सामग्री के आधार पर अपना बोझ **उतार** सकता है।पैराग्राफ No.32 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

"32. **एक आरोपी को कानून के** तहत उस पर रखे गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए खुद की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।वह पहले से ही अभिलेख में लाई गई सामग्री के आधार पर अपना बोझ **उतार** सकता है।अभियुक्त को **चुप्पी बनाए रखने का** संवैधानिक अधिकार **किसी** आपराधिक मामले में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत **को** मानक अलग-अलग होता है।"18. इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि जबकि अभियोजन पक्ष को किसी अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए, **किसी अभियुक्त की ओर से बचाव करने के लिए सबूत का मानक सम्भव्यताओं की प्रधानता है।** सबूत का मानक ताकि पर बचाव साबित किया जा सके।

पैराग्राफ No.34 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः-

"34. इसके अलावा, जबकि अभियोजन पक्ष को किसी अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए, एक अभियुक्त की ओर से बचाव को साबित करने के लिए सबूत का मानक "संभावनाओं की प्रधानता" है। संभावनाओं की **प्रबलता का अनुमान लगाया जा सकता है न** केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री **से लगाया जा सकता है**, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ **में** भी लिया जा सकता है जिन पर **वह भरोसा करता है**।"

25. **हमें** धारा 118 (ए) और 139 पर उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान **दिया है**, अब हम इस न्यायालय द्वारा गिने गए सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः- (i) एक बार चेक **एक बार चेक का निष्पादन स्वीकृत हो जाने के बाद अधिनियम की धारा 139 यह अनुमान लगाती है कि** चेक किसी भी ऋण या अन्य **देनदारी** के निर्वहन के लिए था।

((ii) **धारा** 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है।अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

(iii) अनुमान का खंडन **करने** के लिए, अभियुक्त के लिए अपने **द्वारा दिए गए सबूतों** पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव **करने** के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है।संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से लिया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ से भी लिया जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं।

((iv) अभियुक्त के लिए अपने बचाव के समर्थन में गवाह बॉक्स में आना आवश्यक नहीं है, धारा 139 ने एक साक्ष्य बोझ लगाया, न कि एक प्रेरक बोझ।

26. जैसा कि ऊपर उल्लिखित, वर्तमान मामले के तथ्यों में, **कानून के पूर्वसर्ग को लागू करने से** यह स्पष्ट है कि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए जाने के बाद, खंड 139 के तहत एक धारणा जताई जाएगी कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में जारी किया गया था।जिस सवाल पर गौर किया जाना है वह यह है कि क्या आरोपी द्वारा कोई संभावित बचाव किया गया था।पीडब्लू1 की **जिरह** में, जब विशिष्ट प्रश्न रखा गया कि चेक अभियुक्त द्वारा लिए गए Rs.25,000/- **रूपये** के ऋण के संबंध में जारी किया गया था, तो पीडब्लू1 ने कहा कि उसे याद नहीं है। पीडब्लू1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह

1997 **में सेवानिवृत हुए किस तारीख को उन्हें 8 लाख** का मौद्रिक लाभ मिला जिसे शिकायतकर्ता ने भुनाया था।यह भी सबूत लाया गया कि वर्ष 2010 में, शिकायतकर्ता ने एक बिक्री समझौता किया जिसके लिए उसने बिक्री पर विचार के लिए बलाना गौड़ा को 4,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया। वर्ष 2010 में स्वीकार **4,50,000/- रूपये की राशि का भुगतान स्वीकार किया गया और 50,000/- का ऋण भुगतान किया गया**, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 2012 की शिकायत **संख्या 119/2023 दायर** की गई थी, जिसकी प्रति भी Ex.D2 के रूप में दर्ज की गई थी, शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने का बोझ था।वर्ष 2010-2011 में, शिकायतकर्ता के अपने मामले के अनुसार, उसने Rs.18 लाख का भुगतान किया।जिरह के दौरान, जब आरोपी को 6 लाख रुपये का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया गया, तो शिकायतकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार, **रिकार्ड पर मौजूद** अभियुक्त की ओर से एक संभावित बचाव है, जिसने शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता और अन्य तथ्यों को साबित करने का बोझ डाल दिया।

(जोर दिया गया)

(20) **इसके** अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से उधार दी गई राशि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता प्रदर्शित करने में विफलता से शिकायतकर्ता पर पैसे उधार देने **के साथ-2 अन्य चीजों में उधार देने की** अपनी वित्तीय क्षमता को साबित करने के साथ-साथ चेक जारी करने के लिए **प्रतिफल** के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए अन्य परिस्थितियों का बोझ बढ़ जाएगा। यह देखने के बाद कि अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता को इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोषसिद्धि के फैसले में विकृति थी और इस प्रकार इसे **रद्द** किया जा सकता था।यह देखा गया कि अभियुक्त ने संभावित बचाव किया था और शिकायतकर्ता अपने नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा और इस प्रकार अभियुक्त को **बरी करने** का आदेश दिया।

(21) **इस प्रकार** तत्काल मामले **रिकार्ड पर लाये गये पक्षों द्वारा संदर्भित** किए गए साक्ष्य की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के आलोक में की जाती है। **उस विचार करने पर** निम्नलिखित तस्वीर सामने आती हैः

(i) शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने **अक्टूबर 2017 के महीने में आरोपी को** बिना किसी लिखित समर्थन के और पक्षकारों के बीच संबंध के बिना अभियुक्तों को 1 लाख 35 हजार रुपये **की राशि दी गई थी**।

हालांकि जिरह में शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने याचिकाकर्ता के साथ कभी कोई व्यवसाय नहीं किया है और उसके पास कोई आवश्यक जानकारी नहीं है जैसा कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को पता होगा जिसके साथ व्यक्तिगत संबंध हैं।

((ii) शिकायतकर्ता आय का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।शिकायतकर्ता ने अपने खाते के विवरण या बैंकिंग विवरण भी सामने नहीं लाए।

(iii) शिकायतकर्ता इतनी बड़ी राशि की उपलब्धता स्थापित करने में विफल रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते हुए प्रति माह 15,000 रुपये का मामूली वेतन कमाता था और राजस्थान में किराए के आवास में **रहता** था।

(iv) शिकायतकर्ता जिरह में स्वीकार करता है कि उसके पास धन के लेन-देन या किसी लिखित रसीद/पावती के संबंध में कोई सबूत नहीं था।

(v) शिकायतकर्ता ने जिरह में कहा है कि उसके पास धन के लेन-देन का **एक** गवाह था, हालांकि, शिकायत में **न तो** उक्त पहलू का उल्लेख किया गया है और न ही शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य में ऐसा कोई गवाह पेश किया गया है।इसलिए, सबसे अच्छे सबूत को **छुपाया** गया है।

(vi) हालाँकि शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने पहले भी अभियुक्त के साथ लेन-देन किया था, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया है।उक्त बयान भी विरोधाभासी है क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि उसका याचिकाकर्ता के साथ कोई लेनदेन या व्यवसाय नहीं था।

(vii) ऐसा कोई प्रशंसनीय कारण नहीं है कि शिकायतकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को धन उधार देगा जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं था और वह भी किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के बिना, जैसा कि सामान्य विवेक वाले व्यक्ति से **अपेक्षा की जाती है**। राशि उधार देने से पहले न्यूनतम विवेकपूर्ण कदम उठाने में विफलता के बारे में कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(viii) शिकायतकर्ता कोई कारण या पृष्ठभूमि देने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता को इतनी बड़ी राशि **उधार** क्यों दी गई थी और किन परिस्थितियों के साथ-साथ किन शर्तों पर इसे **उधार** दिया गया था।

(ix) चेक जारी करने से पहले **देनदारी** के अस्तित्व को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता की स्व-सेवारत गवाही के अलावा कोई सबूत नहीं है।

(x) केवल चेक के कब्जे में होने से, शिकायतकर्ता चेक जारी करने से पहले दायित्व और कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व को साबित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है।

(xi) **आसपास की परिस्थितियां और** सर्वोत्तम साक्ष्य को **छुपाने** के रूप में आचरण अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में असंभवताओं और संदेहों के लिए गुंजाइश **छोड़ देता** हैं।अतः शिकायतकर्ता के खिलाफ एक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

(xii) अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने आगे सुझाव दिया और एक विशिष्ट दलील दी कि विचाराधीन चेक उसकी दुकान से चोरी हो गया था।

(xiii) याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता-गुड्डू को जानने से भी इनकार किया।

(xiv) याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा कोई पैसा उधार दिए जाने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

(xv) विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि कोई भी गवाह बचाव में उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि याचिकाकर्ता ने गवाह के रूप में कदम रखा था; इस तथ्य की पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले से भी होती है।याचिकाकर्ता का शपथ पत्र डी. डब्ल्यू. 1/ए प्रदर्शित करता है और उससे जिरह भी की गई थी।

(22) अब इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या कानूनी नोटिस का जवाब देने में अभियुक्त की विफलता को दायित्व की स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है और क्या शिकायतकर्ता **से उसकी** वित्तीय क्षमताओं के संबंध में सवाल उठाए जाने के बावजूद **भी ऐसी प्रगति करने की क्षमताओं और क्षमता के संबंध में उसकी क्षमता का** एक अनुमान होना चाहिए। वित्तीय क्षमता के मुद्दे **से निपटते** समय निचली अपील न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

19.जहां तक **शिकायतकर्ता की 1,35,000/- रूपये का ऋण अग्रिम करने की वित्तीय क्षमता** का संबंध है-इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऋण अग्रिम के समय कोई रसीद निष्पादित नहीं की गई **थी** और न ही शिकायतकर्ता द्वारा इसे **अपने** आईटीआर में दिखाया गया है, लेकिन यह सबूत में आया है कि शिकायतकर्ता राजस्थान में एक कारखाने में काम **करता** है और अच्छी कमाई कर रहा है।शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि वह उस इलाके में किराए पर रहता था जहां आरोपी **रहता था** और उसके आरोपी के साथ दोस्ताना संबंध थे।इस तथ्य का शिकायतकर्ता **से** जिरह में अभियुक्त द्वारा कहीं भी **इस तथ्य का** खंडन नहीं किया गया था।

(23) विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष भी निम्नानुसार निकाला गया हैः-

23. **सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत ब्यान में आरोपी प्रेम सिंह रोहिल्ला का बचाव करते हुए आरोपी ने कहा कि उसका** शिकायतकर्ता गुड्डू कुमार के साथ कोई लेन-देन नहीं है और किसी व्यक्ति द्वारा चेक चोरी किया गया था जिसका बाद में शिकायतकर्ता द्वारा दुरुपयोग किया गया था।पूरे रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी यह साबित करने में विफल रहा है कि चेक पहले शिकायतकर्ता द्वारा चुराया गया था और बाद में उसके द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया था।वह यह समझाने में विफल रहे हैं कि कानूनी नोटिस की **तामिल** के बावजूद उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया।अभियुक्त यह समझाने में भी विफल रहा है कि जब उसके ब्याज की रक्षा के लिए चेक चोरी हो गया था **उसने अपने हितों की रक्षा के लिए** उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष कोई आवेदन क्यों नहीं **दायर** किया।उन्होंने यह दिखाने के **लिए** किसी विशेषज्ञ को भी पेश नहीं किया है कि उनके द्वारा चेक नहीं भरा गया है या उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

24. वास्तव में, अभियुक्त ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि **उसका** में शिकायतकर्ता के पिता के साथ **पूर्व में** लेनदेन था। मूल चेक पर कोई अधिलेखन या कटौती नहीं की गई है जो दस्तावेज़ की प्रामाणिकता या वास्तविकता के बारे में कोई संदेह या संदेह पैदा करती है।बचाव पक्ष यह **करने** के लिए किसी भी विशेषज्ञ को पेश **करने में भी** विफल रहा है कि मूल चेक **पर** यानी रिकॉर्ड Ex.C1 **पर आरोपी के हस्ताक्षर नही है।**

(24) **निचली** न्यायालयों के इस तरह के अनुमान का आधार शिकायतकर्ता के **द्वारा दिए गए** किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर नहीं है, बल्कि **आरोपी पर** यह स्थापित करने के लिए एक नकारात्मक बोझ डाला गया है कि उसने **कथित** धन का लाभ नहीं उठाया था जो उसे दिया गया था।याचिकाकर्ता ने चेक जारी करने से इनकार कर दिया **है** और शिकायतकर्ता से किसी भी धन की प्राप्ति से इनकार कर दिया या फैसले के पैरा 21 में देखी गई परिस्थितियों के साथ उसके साथ कोई लेनदेन **करने से इंकार कर दिया है** तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की खंड 139 के तहत आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून की धारणा बनी नहीं रहेगी और यह स्थापित करने का

भार शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो जाएगा कि विचाराधीन लेनदेन विधिवत हुआ था और यह कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में उसे जारी किया गया था।(25) ध्यान देने योग्य विसंगतियों और खामियों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता परक्राम्य **की धारा** 139 के तहत अपने बोझ और अनुमान के परिणामी संचालन का खंडन करने में **सक्षम** है।

इस प्रकार शिकायतकर्ता पर पहले से मौजूद **देनदारी** को दिखाने के लिए सकारात्मक साक्ष्य **को पेश करने और** इसे चेक जारी करने के समय कानूनी रूप से लागू **करने को बोझ स्थांनातरित हो गया है**। एक साधारण व्यक्ति के विवेक को प्रदर्शित करने और याचिकाकर्ता को राशि अग्रिम करने की **उसकी** क्षमता स्थापित करने में विफलता याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रवर्तनीय ऋण की उपस्थिति के खिलाफ संदेह को जन्म देती है और इस प्रकार **संतुलन को** आरोपी के पक्ष में झुक **देती है**। **शिकायतकर्ता पर** अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने का भार **होता** है, जिसके पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान है।

(26) ऊपर **लिखित** कानून की स्थिति और ऊपर देखे गए तथ्यों के आलोक में, **मुझे लगता है** कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अनुमानात्मक हैं और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं। निचली अदालतें शिकायतकर्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी स्थानांतरित करने पर ध्यान देने में विफल रही हैं कि उसने धन अग्रिम किया था और यह कि विचाराधीन चेक दायित्व के निर्वहन **के लिए उसे** में विधिवत जारी किया गया था और अन्य सभी परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की खंड 139 के तहत अनुमान के आधार पर आगे बढ़ा था।

(27) तदनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित **दिनांक** 04.03.2021 **साथ ही सजा** के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत द्वारा पारित 17.12.2019 के दोषसिद्धि के फैसले और **दिनांक** 19.12.2019 के सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को बरी कर दिया जाता है।

(28) **याचिका स्वीकार की जाती है का साथ ही सजा का निर्णय दिनांक 17-12-2019 और न्यायाधीश पानीपत द्वारा पारित सजा का आदेश दिनांक 19-12-2019 को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को बरी कर दिया जाता है।**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : पूनम